

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक - एफ.15(7)डी.एम.ई. / एके. / 2018 / 1288

दिनांक :- 20/06/19

राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी के अधीन संचालित मेडिकल कॉलेजों में शिक्षण फीस (ट्यूशन फीस) के अन्य प्रकार की फीस/चार्जज का निर्धारण आदेश संख्या - एफ.15(7)डी.एम.ई. / एके. / 2018 / 707 दिनांक 05.06.2018 के द्वारा किया गया था उक्त आदेश कि शर्त संख्या -1 में निर्दिष्ट 10% की दर से बढ़ोतरी के प्रावधान के तहत नवीन छात्रों एवं गत वर्ष से अध्ययनरत छात्रों की फीस/चार्जज में निम्नानुसार 10% की बढ़ोतरी कर फीस / चार्जज का निर्धारण किया जाता है:-

S.no.	Fee/Charges	Frequency	Agreeble Rates
Academic Fee/Charges except tuition fee			
1	Admission Fee	Only once	13200/-
2	Sports & Academic Fund	Every year	11000/-
3	Non Refundable security/Caution Money	Once- NonRefundable	5500/-
Boarding and lodging charges			
1	Hostel Fee/Accommodation charges (Single seated)	Every year	22,000/-
2	Hostel Fee/Accommodation charges (Double seated)	Every year	17600/-
3	Hostel Fee/Accommodation charges (Triple seated)	Every year	14300/-
4	Electricity & Water charges	Every year	7700/-
5	Infrastructure Development & Welfare Fund	Every year	5500/-
6	Non Refundable Security	Only once	3300/-

उक्त शर्तें पूर्व की भांति यथावत रहेगी।
उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त जारी किए जाते हैं।
उक्त बढ़ोतरी शैक्षणिक सत्र 2019-20 से प्रभावी होगी।

अति. निदेशक (प्रशा.),
एवं पदेन शासन उप सचिव,
दिनांक :-

क्रमांक - एफ.15(7)डी.एम.ई. / एके. / 2018 /
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) / आयोजना / बजट / विभाग, जयपुर।
- निजी सहायक, उप शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा, (ग्रुप-1) जयपुर।
- अति निदेशक (प्रशासन / शैक्षणिक), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
- प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, नवीन मेडिकल कॉलेज, समस्त।
- वित्तीय सलाहकार निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
- परिष्कृत लेखाधिकारी राजमेस।
- रक्षित पत्रायली

उप निदेशक, (एके.)
राजमेस